भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3095
दिनांक 18 दिसंबर 2025

सभी पेट्रोल पंपों पर अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की संस्थापना

†3095. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे अमृतसर जिले और देश भर के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी पेट्रोल पंपों, नए और मौजूदा दोनों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और रिफाइनरियों के पास स्थित पेट्रोल पंपों पर संस्थापित अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या संबंधित विभागों के साथ मिलकर इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जोखिम आकलन और मॉक ड्रिल आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आग लगने या रासायनिक खतरों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारी संबंधी प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पेट्रोल पंप और रिफाइनरियां आधुनिक स्वचालित अग्निशमन प्रणालियों, प्रशिक्षित कर्मियों, अग्नि सेंसर और निवारक निगरानी तंत्रों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विस्फोट या ऐसी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पीएनजीआरबी (तकनीकी मानक और विनिर्देशन, जिनमें ऑटोमोटिव ईंधन वितरण के लिए सुरक्षा मानक भी शामिल हैं) विनियम, 2018 अधिसूचित किया है, जिनमें अन्य बातों के अलावा, मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और इनके विभिन्न प्रकारों जैसे ऑटोमोटिव ईंधनों का वितरण करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव सुविधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उक्त विनियमों के अनुसार, कोई भी कंपनी जो खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना चाहती है, उसे इन विनियमों के अनुरूप डिजाइन संबंधी पक्षों

सहित अपनी योजना पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को अनुमोदन के लिए उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त, पीएनजीआरबी ने (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए आचार संहिता) विनियम, 2010 अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत आरओ के स्वामित्व वाली कंपनियों को आपातकालीन नियंत्रण प्रणालियों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जिनमें अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन प्रणाली आदि शामिल हैं।

सुरक्षा मानकों सहित पीएनजीआरबी के तकनीकी मानक और विनिर्देश निम्नलिखित उपायों को अनिवार्य बनाते हैं:

i. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के किसी अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा।

ii. हर तीन वर्ष में एक बार विद्युत सुरक्षा ऑडिट।

iii. डीलरशिप या प्रचालन कर्मियों द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा जांच।

iv. पीएनजीआरबी-ईआरडीएमपी विनियमों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने सूचित किया है कि अमृतसर जिले और देश भर के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नए और मौजूदा दोनों खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) [पेट्रोल पंपों] पर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ये बिक्री केन्द्र ग्रामीण गांवों, सीमावर्ती क्षेत्रों और रिफाइनरियों के पास स्थित हैं। समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम नियम 2002 में विनिर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करने के बाद ही किसी आरओ को कमीशन किया जाता है। इन सभी शर्तों के अनुपालन के बाद ही पीईएसओ सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी को आरओ प्रचालित करने की अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी नियमित और औचक निरीक्षण के माध्यम से इन मानकों को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, और कमियां पाए जाने पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।

पीएनजीआरबी (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए आचार संहिता विनियम, 2010) के अनुसार, आरओ में आपातकालीन स्थिति से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले सभी कर्मियों (कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों, परिवहन दल और सुरक्षा कर्मियों सहित) को प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स प्रदान करना अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी पेट्रोल पंप डीलरों और उनके कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध सभी

अग्निशमन प्रणालियों की आवधिक जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

रिफाइनरियों और इन पेट्रोल पंपों पर उनके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे उत्पादों के संयोजन के आधार पर विभिन्न वर्गों के पेट्रोल पंपों पर मात्रात्मक जोखिम आकलन (क्यूआरए) अध्ययन किए जाते हैं, जिससे जोखिमों का आकलन करने और आस-पास के लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपाय करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, रिफाइनरियां आधुनिक स्वचालित अग्निशमन प्रणालियों, प्रशिक्षित कर्मियों, अग्नि सेंसर और निवारक निगरानी तंत्रों से सुसज्जित हैं, जैसा कि विभिन्न लागू वैधानिक, विनियामक और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के मानक आवश्यकताओं के तहत निर्धारित है।

आपातकालीन तैयारी और अग्निशमन व्यवस्था न केवल यूनिट कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बल्कि आस-पास के समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक संपत्ति को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी बनाई और स्थापित की जाती है। स्थानीय समुदायों और आस-पास के क्षेत्रों के विद्यालयों में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि जनता को सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। जिला अधिकारियों और पारस्परिक सहायता साझेदारों की उपस्थिति में ऑनसाइट-कम-ऑफसाइट अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं।

जिला अधिकारियों को भी मौके पर आयोजित आपदा प्रबंधन अभ्यास के दौरान विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का अवलोकन करने और आपातकालीन तैयारी योजना में शामिल किए जाने वाले किसी भी सुझाव को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ये प्रावधान सामूहिक रूप से आरओ में अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा मानदंडों की नियमित निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
